उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 17/2020/310/छप्पन-2020-41/03 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च़, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए छः वाहन किराए पर लिए जाने की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-34/2018/49/छप्पन-2018-41/03 टी.सी. दिनांक 28 मार्च, 2018 की वैधता अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2076/छप्पन-2019-41/03टी.सी दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक बढ़ाई गई थी, जो व्यतीत हो चुकी है। कार्य की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश की वैधता अवधि बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सम्पत्ति विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी ट्रेवेल्स एजेन्सियों से किराए पर टैक्सी वाहन लिए जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या- एम-7450/32-3-2019-7(32)/2001 टीसी-1, दिनांक 06 जनवरी, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- एम-542/32-3-2020-7(32)/2001 टीसी-1, दिनांक 13 फरवरी, 2020 के क्रम में उक्त शासनादेश संख्या-34/2018/49/छप्पन-2018-41/03 टी.सी. दिनांक 28 मार्च, 2018 की वैधता अवधि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 17/2020/310(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in